भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 381

04 फ़रवरी, 2025 को उत्तर के लिए नियत

"एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन पिंजौर"

381. **श्री वरूण चौधरी**

क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिंजौर में एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन को पेश आ रही वित्तीय चुनौतियों की जानकारी है जिसके कारण अंततः यह बंद हो गया और कर्मचारियों को वेतन भुगतान में विलंब हुआ;

(ख) यदि हां, तो एचएमटी पिंजौर के बंद होने से पूर्व इसकी वित्तीय और प्रचालनात्मक पुनर्संरचना के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी-निजी भागीदारी अथवा इस इकाई को स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास केन्द्र के रूप में पुनः तैयार करने जैसे विकल्पों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन के पूर्व कर्मचारियों को सांविधिक देयताओं, पेंशन बकायों और लंबित वेतन का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने बंदी से प्रभावित कर्मचारियों के लिए किसी वित्तीय सहायता अथवा पुनर्वास योजनाओं का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री
(एच. डी. कुमारस्वामी)

(क) एवं (ख): भारत सरकार एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन, पिंजौर के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों से अवगत थी और इनको ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 27 अक्टूबर, 2016 को अपनी बैठक में एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन के परिचालन को बंद करने की मंजूरी दी थी। बंद होने से पहले, 2013 में एचएमटी लिमिटेड के

लिए एक पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें कार्यशील पूंजी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और संयंत्र आधुनिकीकरण के लिए राजकोषीय सहायता के साथ ट्रैक्टर डिवीजन को फिर से सक्रिय करने के उपाय शामिल थे, हालांकि, इससे कार्य निष्पादन में गिरावट को रोकने में कोई मदद नहीं मिली।

(ग): जी नहीं ।

(घ) एवं (ङ): ट्रैक्टर डिवीजन के बंद होने को मंजूरी देते समय, सीसीईए ने बकाया वेतन/मजदूरी और अन्य सांविधिक बकाया के भुगतान के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी थी, साथ ही भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में छूट देते हुए जो रुग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसई के वेतन संशोधन की अनुमति नहीं देते थे, ट्रैक्टर डिवीजन के सभी कर्मचारियों को अनुग्रह और सेवांत हितलाभ प्रदान करने के लिए 2007 के कल्पित वेतनमान के आधार पर, आकर्षक और सुधारित वीआरएस/वीएसएस पैकेज की पेशकश की, जबकि उस समय 1997 का वेतनमान लागू था । ट्रैक्टर डिवीजन के सभी कर्मचारियों के लिए 2007 के कल्पित वेतनमानों के आधार पर अनुग्रह राशि और सेवांत हितलाभों के साथ उक्त वीआरएस/वीएसएस के लिए 718.72 करोड़ रुपये की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की गई थी। सरकार द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त बजटीय सहायता के अनुसरण में, एचएमटी लिमिटेड द्वारा एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन के सभी कर्मचारियों को देय भुगतान किए गए। इसलिए, न्यायालय के अधीन मामले (मामलों) को छोड़कर एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन के पूर्व कर्मचारियों के लिए कोई सांविधिक बकाया, पेंशन बकाया और लंबित वेतन नहीं है।

*****